

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गृह-2) विभाग

क्रमांक एफ 3(1)साप्र/2/2012 पार्ट 1

जयपुर, दिनांक 29.11.2012

आदेश

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किये जाते हैं -

क्र.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	100/03	श्रीमती लवोना मित्तल वरिष्ठ प्रवक्ता राजकीय महिला पोलोटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर	'एच' ब्लॉक एमआरईसी कैम्पस (ए-106 जवाहरनगर के स्थान पर)	31.5.2039
2.	148/03	श्री श्याम लाल शर्मा निजी सचिव, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।	'के' ब्लॉक एमआरईसी कैम्पस गांधीनगर	31.12.2014
3.	88/09	श्री ताराचन्द्र मण्डीवाल लेखाकार, कार्यालय वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी आर.डब्ल्यू.एस.एम.बी., जयपुर	17/III/ए बहुमंजिला	31.10.2026
4.	101/09	श्री राम चरण मीणा, जिला रसद अधिकारी, खाद्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	17/III/सी बहुमंजिला (15/51 मालवीयनगर के स्थान पर)	30.4.2037
5.	124/09	श्री कालूराम यादव प्रवक्ता कम्प्यूटर इंजीनियर, राजकीय आर.सी. खेतान पोलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर	III/96 गांधीनगर	1.7.2041
6.	17/2012	डॉ० मुनेश मीणा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय मालवीयनगर जयपुर	15/10 मालवीयनगर	31.7.2037
7.	22/2012	डॉ० सविता शर्मा मेडिकल ऑफिसर निदेशालय भ्रमण शील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर	ए-12 जवाहरनगर	30.9.2024
8.	65/2012	श्री राजपाल मीणा प्रवक्ता टेक्स टाईल डिजाइन राजकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, साँगानेर, जयपुर	15/68 मालवीयनगर	31.12.2031
9.	89/2012	डा० प्रवीण चौधरी मेडिकल ऑफिसर (पोलीटोमा विभाग) सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	ए-99 जवाहरनगर	30.4.2042
10.	91/2012	श्रीमती नीतू रस्तोगी वरिष्ठ अध्यापिका अंग्रेजी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय झोटवाडा, जयपुर	जीए/III/टी- 2/34 विद्याधरनगर (जीए/III/टी- 2/105 विद्याधरनगर के स्थान पर)	31.10.2031
11.	104/2012	डॉ० दिलीप सिंह राणा चिकित्सा अधिकारी निश्चेतन प्रक्रिया विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	ए-100 जवाहरनगर	31.5.2043
12.	156/2012	सुश्री मंजू कुमारी राजस्थान लेखा सेवा (प्रशिक्षु) हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर।	जीए/III/टी- 2/83 विद्याधरनगर	31.7.2045

13.	157/2012	श्री ए.आर. नियाजी अधीक्षक जेल ग्रेड प्रथम कारागार विभाग, जयपुर	जीए/III/टी- 1/179 विद्याधरनगर	30.9.2015
14.	159/2012	श्री प्रभुनारायण मीणा सहायक लेखाधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक स्थानीय निधी अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर-प्रथम जयपुर।	जीए/III/टी- 2/16 विद्याधरनगर	30.6.2024
15.	162/2012	श्री चान्दमल पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय पुलिस अधीक्षक-1 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान, जयपुर। (नीतिगत निर्णय अनुसार)	III/115 (एवीएस) गांधीनगर	31.1.2027
16.	163/2012	सुश्री नीशा मीणा सहायक अभियन्ता कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता तकनीकी सहायक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर जोन 1 जयपुर	जीए/III/टी- 2/28 विद्याधरनगर	31.12.2043
17.	164/2012	श्री दुर्गादास मूलचन्दानी वरिष्ठ प्रतिवेदक राजस्थान विधानसभा सचिवालय जयपुर	जीए/III/टी- 2/31 विद्याधरनगर	30.6.2028
18.	174/2012	श्री विकास लाम्बा जुनियर स्टाफ ऑफिसर कार्यालय उप महासमादेष्टा गृह रक्षा एवं उपनिदेशक, नागरिक सुरक्षा, राजस्थान जयपुर	जीए/III/टी- 2/90 विद्याधरनगर	28.2.2042

शर्त:-

- आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी :-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
- कम संख्या -3 पर अंकित श्री ताराचन्द मण्डीवाल से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
- कम संख्या -4 पर अंकित श्री रामचरण मीणा से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
- कम संख्या -15 पर अंकित श्री चान्दमल से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

६०

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।

3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
5. प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय, गांधीनगर, जयपुर।
6. प्राचार्य, राजकीय राम चन्द्र खेतान पोलोटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर।
7. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
8. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
9. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, झोटवाडा, जयपुर।
10. उप सचिव (संस्थापन), राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
12. जिला रसद अधिकारी, जयपुर।
13. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर।
14. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, आर.डब्ल्यू.एस.एम.बी. जल भवन, जयपुर।
15. प्रभारी, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, मालवीयनगर, जयपुर।
16. प्रभारी, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, जयपुर।
17. निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
18. महानिरीक्षक, कारागार विभाग, जयपुर।
19. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर प्रथम, जयपुर।
20. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
21. उप निदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग, जयपुर।
22. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
23. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि० गाँधीनगर/ जवाहरनगर/मालवीयनगर/विद्याधरनगर, जयपुर।
24. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
25. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गाँधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
26. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
27. निदेशक, उद्यान विज्ञ. सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
28. संबंधित अधिकारीगण।
29. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-5) विभाग।
30. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
31. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग।
32. रक्षित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव